



ऋण सह दृष्टिबंधक समझौता

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण के लिए ऋण सह दृष्टिबंधक समझौता ("ऋण समझौता") जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में है ('डीएमआई' का अर्थ है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं)

1 कई। परिभाषाएं

1.1 इस ऋण समझौते और ऋण आवेदन पत्र में निहित नियम और अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

"**उपलब्धता अवधि**" का अर्थ वह अवधि होगी जिसके भीतर उधारकर्ता सुविधा से निकासी का अनुरोध कर सकता है और इसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है;

"**उपलब्ध सुविधा राशि**" का अर्थ किसी भी समय सुविधा की अप्रयुक्त राशि है, जिसमें सुविधा की कोई भी राशि शामिल है जो किसी भी पिछले ड्रॉडाउन के सभी या हिस्से के पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान के बाद उपलब्ध हो जाती है;

"**उधारकर्ता**" से तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित उधारकर्ता से है;

"**उधारकर्ता का बकाया**" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियाँ, जिसमें बकाया सुविधा, ब्याज, अन्य सभी शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं;

"**कूलिंग ऑफ पीरियड**" का अर्थ डीएमआई द्वारा निर्धारित समय अवधि है जो उधारकर्ताओं को डिजिटल ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाएगी, यदि उधारकर्ता ऋण जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है।

"**ड्रॉडाउन**" का अर्थ उपलब्धता अवधि के भीतर और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार सुविधा के प्रत्येक ड्रॉडाउन से होगा, जिसमें किसी भी पूर्व ड्रॉडाउन के पूर्व भुगतान/पुनर्भुगतान के अनुसरण में सुविधा के विरुद्ध उपलब्ध होने वाली किसी भी राशि का ड्रॉडाउन शामिल है;

"**देय तिथि**" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है।

"**ईएमआई**" का अर्थ है वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सभी बकाया ड्रॉडाउन की चुकौती और ब्याज (यदि लागू हो) के भुगतान के लिए उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली समान मासिक राशि;

"**सुविधा**" का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को दी गई अधिकतम निकासी सीमा है, जो उधारकर्ता को परिक्रामी ऋण के रूप में उपलब्ध हो सकती है;

"**वित्तपोषण दस्तावेज़**" का अर्थ है यह ऋण समझौता, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण, इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़, समय-समय पर संशोधित;

"**ऋण आवेदन**" का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जो समय-समय पर ऋणी द्वारा वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए डीएमआई को प्रस्तुत किया जाता है;



"मुख्य तथ्य विवरण" से तात्पर्य डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को प्रदान किया गया मुख्य तथ्य विवरण है, जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, एपीआर का विवरण, वसूली तंत्र, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि आदि शामिल है;

"भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ है कोई भी घटना जो डीएमआई की राय में (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता या (ii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी;

"मोबाइल डिवाइस" का तात्पर्य ओप्पो द्वारा निर्मित और बेची गई किसी भी मोबाइल डिवाइस से होगा जिसे उधारकर्ता द्वारा विक्रेता से खरीदा जाना प्रस्तावित है;

"अतिदेय प्रभार" का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित डिफॉल्ट ब्याज है जो उन सभी राशियों पर देय है जो उनकी संबंधित देय तिथियों पर भुगतान नहीं की जाती हैं;

"उद्देश्य" का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग है, जिसमें विक्रेताओं से किसी भी उत्पाद की खरीद शामिल है;

"उत्पाद" का तात्पर्य ओप्पो उत्पादों से है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल हैं, और जिन्हें उधारकर्ता द्वारा विक्रेता से खरीदा जाना प्रस्तावित है और जो मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए उद्देश्य के अनुरूप है;

"समाधान" से तात्पर्य मालिकाना सॉफ्ट-लॉक सॉफ्टवेयर समाधान से है जिसे ओप्पो द्वारा उत्पादों पर पहले से लोड किया जाता है ताकि डीएमआई से ट्रिगर अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें लॉक / अनलॉक किया जा सके, जिससे उत्पादों की होम स्क्रीन तक पहुँच लॉक हो जाएगी और यह किसी भी फ़ैक्टरी रीसेट, बाइनरी फ्लैशिंग, यूएसबी, ब्लूटूथ या टेथरिंग का जवाब नहीं देगा, जहाँ उधारकर्ता डीएमआई से कई अनुस्मारक प्राप्त करने के बावजूद मासिक भुगतान करने में विफल रहते हैं। समाधान उधारकर्ता को उत्पादों और अन्य पारस्परिक रूप से सहमत कार्व-आउट के अनुप्रयोगों को देखने और उन तक पहुँचने से भी प्रतिबंधित करेगा;

"विक्रेता" का तात्पर्य विक्रेताओं से होगा, जिसमें समय-समय पर डीएमआई द्वारा अनुमोदित ई-कॉमर्स वेबसाइट भी शामिल है, जिसके संबंध में किसी भी उत्पाद की खरीद के लिए डीएमआई द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

1.1A. इस ऋण समझौते में, (a) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत) और (b) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

2. संवितरण

2.1 उधारकर्ता उपलब्धता अवधि के दौरान किसी भी समय उपलब्ध सुविधा राशि की सीमा तक किसी भी राशि के संवितरण का अनुरोध कर सकता है। DMI के पास ऐसे अनुरोध के विरुद्ध ड्रॉडाउन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। सुविधा एक परिक्रामी ऋण की प्रकृति में हो सकती है और उपलब्ध सुविधा राशि उपलब्धता अवधि के दौरान पूर्व भुगतान/पुनर्भुगतान के कारण बदल सकती है। इस ऋण समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, DMI को अपने विवेकानुसार सुविधा से किसी भी अन्य ड्रॉडाउन को रद्द करने या अस्वीकार



करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें उधारकर्ता के क्रेडिट मूल्यांकन में किसी भी बदलाव के कारण शामिल है।

2.2 किसी भी विक्रेता/विक्रेता/स्वास्थ्य सेवा संस्थान या उसके अधिकृत व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए सीधे किसी भी आहरण का संवितरण उधारकर्ता को संवितरित माना जाएगा।

2.3 उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर कर भी देना होगा, जिसे प्रथम आहरण में मान लिया गया संवितरण के रूप में जोड़ा जा सकता है और उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण आहरण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.4 उधारकर्ता यह समझता है कि ऋण उधारकर्ता की इस समझ पर दिया गया है कि खरीदा गया उत्पाद एक प्रीलोडेड समाधान के साथ आएगा जो यहां वर्णित घटनाओं में डिवाइस को लॉक / अनलॉक करेगा।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1 उधारकर्ता सुविधा के उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रत्येक ड्रॉडाउन पर ब्याज (यदि लागू हो) का भुगतान करेगा और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अन्य सभी देय राशियों का भुगतान करेगा और ब्याज मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा। उधारकर्ता संपूर्ण ड्रॉडाउन राशि के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए पूरी राशि का भुगतान करेगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में, यदि किस्त का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो सभी अतिदेय राशियों पर निर्धारित दर (" **अतिदेय शुल्क** ") पर ब्याज अर्जित होगा, जिसकी गणना भुगतान के लिए संबंधित देय तिथियों से की जाएगी और ब्याज मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा।

3.2 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि पहचाने गए उद्देश्य के मामले में, शून्य ब्याज के आधार पर निकासी की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामलों में रिटर्न डीएमआई को विक्रेताओं/स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों द्वारा चयनित उद्देश्यों पर प्रदान की गई एकमुश्त गैर-वापसी योग्य अग्रिम छूट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि डीएमआई और विक्रेता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो।

3.3 प्रत्येक ड्रॉडाउन की अवधि मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार होगी। ई.एम.आई. द्वारा ई.एम.आई. द्वारा गणना की जाएगी, जैसा कि ड्रॉडाउन के संबंधित अवधि के भीतर परिशोधन के लिए आवश्यक है और उस पर देय ब्याज और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अधिकतम ई.एम.आई. से अधिक नहीं होगा। ई.एम.आई. केवल बकाया मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगी और इसमें वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई भी डिफॉल्ट ब्याज या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं होगा।

3.4 प्रत्येक EMI का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने EMI की गणना की विधि को समझ लिया है और वह उस पर विवाद नहीं करेगा।

3.5 वित्तपोषण दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, जिसमें ईएमआई भी शामिल है, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को डीएमआई द्वारा मांगे जाने पर, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए देय होगी। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।



3.6 डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को भावी रूप से संशोधित करने का हकदार होगा, और डीएमआई बकाया सुविधा और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई/ईएमआई की संख्या की पुनः गणना कर सकता है। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा (यदि किसी लागू कानून के तहत ऐसा आवश्यक हो) और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ पूरी बकाया सुविधा का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.7 भुगतान में देरी की स्थिति में, डीएमआई के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डीएमआई देरी की अवधि के लिए उधारकर्ता से अतिदेय प्रभार (मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित अनुसार) प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 उधारकर्ता किसी भी ड्रॉडाउन का भुगतान निर्धारित अवधि से पहले केवल डीएमआई की पूर्व स्वीकृति से और डीएमआई द्वारा निर्धारित शर्तों और पूर्व भुगतान शुल्क के अधीन कर सकता है।

3.9 उधारकर्ता को डीएमआई द्वारा निर्धारित एक विशेष अवधि (" **कूलिंग ऑफ पीरियड** ") के दौरान, बिना किसी दंड के, मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित अवधि सात दिन या उससे अधिक अवधि वाले ऋणों के लिए तीन दिन से कम नहीं होगी और सात दिन से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक दिन से कम नहीं होगी। लुक-अप अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाती रहेगी।

3.10 ऋणकर्ता को सभी ब्याज, कर, शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। यदि ये डीएमआई द्वारा वहन किए जाते हैं, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएंगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क की दर से ब्याज लगेगा।

3.11 वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में सुविधा की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।

3.12 ब्याज (यदि लागू हो), अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और इनकी गणना वर्ष के 365 दिनों और वास्तव में बीते दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

3.13 यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो ऋणी द्वारा राशि का भुगतान तत्काल अगले व्यावसायिक दिन किया जाएगा।

3.14 उधारकर्ता द्वारा डी.एम.आई. को देय सभी राशियाँ बिना किसी कटौती के चुकाई जाएँगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका



- 4.1 ऋण को, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, (i) (“ई-मैडेट”) या (ii) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (डेबिट क्लियरिंग)/ कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैडेट (सामूहिक रूप से “एनएसीएच” के रूप में संदर्भित) प्रदान करना होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा ऋण के बैंक खाते के विरुद्ध देय राशि के भुगतान के लिए अधिसूचित किया गया हो। ऐसा ई-मैडेट/एनएसीएच ऐसे बैंक से और ऐसे स्थान से निकाला जाएगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। ऋण को पहली प्रस्तुति/देय तिथियों पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करना होगा। ऋण द्वारा प्रदान किया गया ई-मैडेट/एनएसीएच डीएमआई द्वारा ऋण के किसी भी बकाए की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऋण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के भीतर) ई-मैडेट और/या एनएसीएच और/या उधारकर्ता के बकाये के भुगतान के लिए निष्पादित अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है।
- 4.2 उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे ई-मैडेट/एनएसीएच जारी किया गया है या ई-मैडेट/एनएसीएच के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।
- 4.3 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैडेट/एनएसीएच उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी ई-मैडेट/एनएसीएच का अनादर करना परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक ई-मैडेट/एनएसीएच अनादर के लिए अनादर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य पत्रक में निर्धारित है)।
- 4.4 किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, चाहे वह कोई भी हो, उधारकर्ता को किसी भी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई संबंधित देय तिथियों पर ई-मैडेट/एनएसीएच प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- 4.5 ई-मैडेट/एनएसीएच जारी होने के बावजूद, ऋणी बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 4.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैडेट/एनएसीएच के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में, लेनदेन के लिए अतिरिक्त शुल्क लग सकता है और इसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।

5. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन एवं निष्पादन करना।

(ii) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद



करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगता है और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ डीएमआई द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, उधारकर्ता की ऋण-योग्यता की निगरानी के लिए भी अधिकृत करता है।

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को दें।

(iv) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना।

(v) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार/पेशे/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/बंद होने की लिखित रूप में डीएमआई को सूचित करना।

(vi) ब्याज और अन्य देयताओं और प्रभारों सहित बकाया सुविधा का पूर्ण भुगतान किए बिना रोजगार या व्यवसाय या विदेश में दीर्घकालिक प्रवास के लिए भारत नहीं छोड़ना।

(vii) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन (डीएमआई द्वारा निर्धारित) के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रदान करना।

(viii) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे डीएमआई को ईसीएस जारी किया गया है।

(ix) प्रथम ड्रॉडाउन के दिन या उससे पहले डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित क्रेडिट जीवन बीमा पॉलिसी लें, जिसमें दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेरोजगारी के लिए कवर तथा डी.एम.आई. को स्वीकार्य अन्य शर्तें शामिल होंगी।

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना।

(xi) प्रत्येक निकासी का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए करें।

(xii) उत्पाद के संचालन में किसी भी खराबी, त्रुटि, गड़बड़ी या इसी प्रकार की अन्य किसी बात के लिए या उधारकर्ता द्वारा भुगतान में देरी/अभाव के कारण उत्पाद के लॉक हो जाने के लिए डीएमआई के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

5.2 ऋणकर्ता डीएमआई के पक्ष में उत्पाद पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम और अनन्य भार बनाता है।

5.3 प्रत्येक उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में तथा किसी अन्य दस्तावेज में ऋणदाता द्वारा दी गई सभी जानकारी, चाहे वह ऋणदाता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो अथवा नहीं, सत्य एवं सही है तथा किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

(ii) ऋणी सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है;

(iii) उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह ऋण समझौता उसके लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है;



(iv) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे इस सुविधा का लाभ उठाने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

(v) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;

(vi) उधारकर्ता किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान करने में चूककर्ता नहीं है;

(vii) ऋणकर्ता इस ऋण समझौते की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा;

(viii) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही नहीं चल रही है।

5.4 ऋणकर्ता डी.एम.आई. को ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई या डी.एम.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त की गई सभी सूचनाओं को इस सुविधा के प्रयोजनों या इसके व्यवसाय के लिए जिस तरह से वह उचित समझे, उपयोग/संग्रहित करने के लिए अपनी सहमति देता है और यह समझता है तथा सहमत है कि डी.एम.आई. ऐसी सूचनाओं को अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तृतीय पक्ष को प्रकट कर सकता है।

5.5 यदि सुविधा/ड्रॉडाउन किसी उत्पाद की खरीद के लिए है, तो उधारकर्ता नीचे दिए अनुसार वचनबद्धता और अनुबंध भी करता है:

(i) किसी भी उत्पाद के खरीद मूल्य में किसी भी वृद्धि के कारण उधारकर्ता सुविधा राशि में किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, खरीद मूल्य में किसी भी कमी की स्थिति में, डीएमआई अपने विवेक से स्वीकृत सुविधा की मूल राशि को कम कर सकता है;

(ii) विक्रेता विशेष रूप से उत्पाद की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगा और डीएमआई उत्पाद की डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए और/या उक्त उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा;

(iii) उत्पाद रद्दीकरण के मामले में, डीएमआई संबंधित सुविधा को तभी चुका हुआ मानेगा जब विक्रेता उधारकर्ता द्वारा विक्रेता की धनवापसी नीति का अनुपालन करने पर डीएमआई को राशि वापस कर देगा। इस तरह की धनवापसी के मामले में, डीएमआई उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई ईएमआई, यदि कोई हो, को खरीद और धनवापसी के बीच की अवधि के लिए ब्याज (यदि कोई हो) घटाकर वापस कर देगा और सुविधा/ड्रॉडाउन को पूरी तरह से समाप्त मान लेगा। प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कोई हो तो उसे धनवापसी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(iv) उधारकर्ता डीएमआई की सहमति के बिना उत्पाद के आंशिक कब्जे या स्वामित्व का दावा नहीं करेगा या उस पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा;

(v) डीएमआई के पास उत्पाद पर पहला और अनन्य प्रभार होगा।

5.6 उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वह समझता है कि भुगतान में चूक होने पर डीएमआई के पास समाधान के माध्यम से उत्पाद को लॉक करने की पहल करने और तब तक इसे जारी रखने का अपरिवर्तनीय और बिना



शर्त अधिकार होगा जब तक कि चूक या चूक को ठीक नहीं किया जाता है। उधारकर्ता यह भी समझता है कि चूक को ठीक करने पर डीएमआई/ओप्पो को उत्पाद लॉकिंग को निष्क्रिय करने में लगभग 48 घंटे लगेंगे और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उत्पाद लॉकिंग को निष्क्रिय करने के लिए डीएमआई/ओप्पो द्वारा लिए गए उचित समय से संबंधित उसके पास कोई दावा नहीं होगा।

5.7 उधारकर्ता ने अनुसूची में दिए गए ओप्पो की सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है, जिसमें डीएमआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त जानकारी को साझा करने और संग्रहित करने से संबंधित शर्तें शामिल हैं।

6. चूक की घटनाएँ

6.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ, प्रत्येक सुविधा के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" का गठन करेंगी:

- (i) उधारकर्ता देय तिथि पर किसी भी उधारकर्ता के बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;
- (iii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;
- (iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;
- (v) उधारकर्ता ड्रॉडाउन का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है;
- (vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है;

6.2 डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

7. चूक के परिणाम

7.1 किसी भी डिफॉल्ट की घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा कि वह सुविधा के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य घोषित करे और उधारकर्ता द्वारा 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता के बकाए का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, डीएमआई को, अन्य बातों के साथ, इसे एक



गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट ब्यूरो को तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

7.2 डी.एम.आई. को उत्पाद का तुरंत कब्जा लेने का बिना शर्त अधिकार भी होगा और ऋणकर्ता इसमें बाधा नहीं डालेगा या इसे रोकेगा नहीं। डी.एम.आई. किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी बिक्री द्वारा उत्पाद को बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सौदा करने का हकदार होगा, और इससे प्राप्त शुद्ध आय को सबसे पहले कब्जा लेने या ऐसी बिक्री के संबंध में होने वाली सभी लागतों की संतुष्टि के लिए लागू करेगा, और या फिर डी.एम.आई. को ऋणकर्ता द्वारा देय ब्याज और अन्य राशियों के शेष के भुगतान के लिए और फिर सुविधा की बकाया मूल राशि के लिए कटौती करेगा और यदि कोई अधिशेष है, तो लेनदेन पर सभी करों आदि के समायोजन और भुगतान के बाद, डी.एम.आई. ऋणकर्ता(ओं) को ऐसी अधिशेष राशि का भुगतान करेगा। हालांकि, यदि कोई घाटा है, तो उसे ऋणकर्ता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और डी.एम.आई. द्वारा उत्पाद का कब्जा या बिक्री ऋणकर्ता को किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि, डीएमआई उत्पाद को उधारकर्ता को तभी सौंपेगा जब उत्पाद की बिक्री पूरी होने से पहले डीएमआई की संतुष्टि के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

7.3 ऋणदाता को उत्पाद पर तुरंत कब्जा करने का बिना शर्त अधिकार भी होगा।

7.4 ऋणकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डी.एम.आई. उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8. खुलासे

8.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता, सुविधा, ड्रॉडाउन, उधारकर्ता द्वारा किए गए डिफॉल्ट (यदि कोई हो) से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें डीएमआई प्रकट करने के लिए उचित और आवश्यक समझे और/या आरबीआई द्वारा अधिकृत करे, जिसमें ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल लिमिटेड ("सीआईबीआईएल") शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऐसी जानकारी का उपयोग, प्रसंस्करण डीएमआई/तृतीय पक्ष/सीआईबीआईएल/आरबीआई द्वारा किया जाए, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, डिफॉल्ट की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जहां लागू हो, 'डिफॉल्टर' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा डीएमआई/सीआईबीआईएल/आरबीआई/

8.2 ऋणकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और न ही ऋणकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान ऋण समझौते की समाप्ति और ऋणकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया



9.1 ऋणकर्ता इस बात की पुष्टि, स्वीकृति और सहमति देता है कि वेबसाइट या अन्य इंटरनेट या वेब आधारित माध्यमों से इसमें किए गए किसी भी परिवर्तन सहित इस ऋण समझौते की ऑनलाइन स्वीकृति के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनता है।

9.2 उधारकर्ता को पता है कि इस ऋण समझौते, नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ('संचार') को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, फैक्स, एसएमएस पाठ संदेश, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से प्रसारित करने में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं, जिसके लिए डीएमआई उत्तरदायी नहीं होगा।

10. विविध

10.1 डी.एम.आई. के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डी.एम.आई. द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा।

10.2 यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने किसी सुविधा के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया हो तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता संयुक्त तथा पृथक होगी।

10.3 ऋणकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल होने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

10.4 किसी भी सुविधा के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।

10.5 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क और/या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई दरें उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

10.6 ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डीएमआई अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने का हकदार होगा और उसके पास एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष (जिसे बाद में "सेवा प्रदाता" कहा जाएगा) को नियुक्त करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा, जिसे डीएमआई चुन सकता है और ऐसे पक्ष को ऋणकर्ता से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, प्रशासन, सुविधा की निगरानी और उससे संबंधित सभी वैध कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने से संबंधित वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को सौंप सकता है जिसमें नोटिस भेजना, ऋणकर्ता से संपर्क करना, डीएमआई के पक्ष में ऋणकर्ता से नकद/चेक/ड्राफ्ट/अधिदेश प्राप्त करना शामिल है। सेवा प्रदाता को ऋणकर्ता द्वारा ऋणकर्ता से देय किसी भी बकाया



राशि के लिए वसूली/संग्रह एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा।

10.7 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डी.एम.आई. के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डी.एम.आई. द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

10.8 उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास दस्तावेज, पता प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे डीएमआई द्वारा बाद में उन्हें बनाए रखने के लिए भी सहमति देते हैं।

10.9 ऋणकर्ता डीएमआई को समय-समय पर ऋणकर्ता का पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने और सीआईबीआईएल, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट बनाने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, जब भी डीएमआई उचित समझे। ऋणकर्ता इसके द्वारा डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्यवाहियों को करने और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करने और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे वह उचित समझे।

10.10 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

10.11 ऋणकर्ता और डीएमआई, ऋण समझौते की शर्तों और नियमों पर एक नई सुविधा प्रदान करने पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं और ऋणकर्ता द्वारा ऐसे अतिरिक्त पत्र/वचनपत्र के निष्पादन के माध्यम से, जैसा कि डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो।

10. पृथक्करणीयता

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है तथा शेष से पृथक है।

11. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

11.1 सभी सुविधाएं और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे।

11.2 इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले या इसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के संबंध में या इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में सभी विवाद, मतभेद और/या दावे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996



("मध्यस्थता अधिनियम ") के प्रावधानों के अनुसार तय किए जाएंगे और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ("डीआईएसी नियम ") के नियमों के तहत ऐसे मध्यस्थ द्वारा निपटाए जाएंगे, जिन्हें केंद्र द्वारा अपने नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता प्रक्रिया अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी और कोई भी पुरस्कार या पुरस्कार अंग्रेजी में दिए जाएंगे। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और कार्यवाही अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।

11.3 इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा।

12. नोटिस

12.1 वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।

12.2 सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।

13. असाइनमेंट

क. ऋणी को डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या सौंपने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तीसरा पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा।

ख. डी.एम.आई. को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, बिना उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के या उसे सूचित किए, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डी.एम.आई. तय करे। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डी.एम.आई. द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर शेष ई.सी.एस. को हस्तांतरिती/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा।

14. क्षतिपूर्ति

पंजीकृत कार्यालय - एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002

वेबसाइट - www.dmifinance.in

ग्राहक पोर्टल - <https://portal.dmifinance.in/>

क्वाड्रसॉफ्ट - 93506 57100 (<https://bit.ly/DMIFINWA>)



ऋणकर्ता इसके द्वारा समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (सीमा के बिना, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय सहित) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखता है, जो ऋणकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम और शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता या चूक की घटना या डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें ऋणकर्ता के बकाए की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।

15. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई") सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, कंपनी उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफॉल्ट पर तुरंत, उन्हें विशेष उल्लेख खातों के रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेगी। ("एसएमए") वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार;

"अतिदेय तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन की अंतिम प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईएमआई की देय तिथि	15-मार्च-22	देय तिथि से अधिक दिन (DPD)	-
EMI अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
EMI बकाया रह गई है (प्रक्रिया के अंतिम दिन तक प्राप्त नहीं हुई)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
EMI बकाया रह गई	14-मई-22	61-90	एसएमए2
EMI बकाया रह गई	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए



एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का संपूर्ण बकाया चुका दिया गया हो।

उदाहरण:

विवरण	परिदृश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईएमआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय EMI	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय EMI	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा	मानक

*आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

टिप्पणी

- i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।
- ii. डीएमआई से एक से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।
- iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपनी ईएमआई का भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।



iv. हम सभी उधारकर्ताओं को ईएमआई का भुगतान करने के लिए <https://portal.dmifinance.in/> पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

16. स्वीकृति:

मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई इस ऋण समझौते में केवल तभी पक्षकार बनने के लिए सहमत होगा जब मैं/हम डीएमआई नीति के अनुरूप ऋण समझौते और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लूंगा। मैं/हम सहमत हैं कि यह ऋण समझौता उस तारीख को संपन्न होगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जब डीएमआई का अधिकृत अधिकारी दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर करेगा या पहले संवितरण की तारीख को, जो भी पहले हो।

"मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके, उधारकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करता है और इसकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इस ऋण समझौते को उधारकर्ता द्वारा स्वीकार करने से यह पता चलेगा: (i) उधारकर्ता द्वारा इस ऋण समझौते में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति; और (ii) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकार करना और पुष्टि करना कि इस ऋण समझौते (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

**मुख्य तथ्य कथन**

दिनांक:

विनियमित इकाई का नाम
डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

ऋण संदर्भ संख्या:

आवेदक का नाम:

क्रमांक।	पैरामीटर	विवरण
1	ऋण का प्रकार	उपभोक्ता ऋण
2	कुल/पात्र ऋण राशि	
3	स्वीकृत ऋण राशि	
(ए)	डिवाइस ऋण राशि	
(बी)	वारंटी ऋण राशि	
4	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
5	ब्याज दर % मासिक – डिवाइस - (घटती हुई)	%
6	ऋण की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज प्रभार (रुपये में)	
7	शुल्क/प्रभार, (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (एक बार), यदि कोई हो (रुपये में)	
बी	बीमा (रुपये में)	
सी	कोई अन्य शुल्क (यदि कोई हो) (रुपये में)	
8	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
9	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
10	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%



11	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	महीने
12	उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान आवृत्ति (किस्त का प्रकार)	महीने के
13	पुनर्भुगतान की किस्तों की संख्या - ईपीआई की संख्या	
14	पुनर्भुगतान की प्रत्येक किस्त की राशि (रुपये में) (ईपीआई राशि)	
15	पहली EMI की देय तिथि (पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद)	
16	ऋण भुगतान का तरीका	ई जनादेश
17	लाइन वैधता अवधि	60 महीने
18	डिवाइस/उत्पाद मॉडल	
19	डिवाइस IMEI/सीरियल नंबर	
20	वारंटी खरीदी गई	नहीं
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण*		
21	विलंबित भुगतान शुल्क – 550 रुपये + जीएसटी	
22	पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क - शून्य	
23	अतिदेय शुल्क – 500 रुपये + जीएसटी	
24	एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क – 500 रुपये + जीएसटी	
25	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(ए)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	5 दिन
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
26	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	10.6
27	ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	12.2
28	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	हाँ
29	गोपनीयता नीति - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	



30	<p>नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी</p> <p>शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)</p> <p>नाम- आशीष सरीन</p> <p>पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता</p> <p>ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievance@dmifinance.in</p> <p>पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002</p> <p>संपर्क नंबर: 011-41204444</p> <p>https://www.dmifinance.in/fair-practice</p>
----	---

* आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है

टिप्पणी

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा दी गई ऋण सुविधा ऋण के सामान्य नियम और शर्तों, इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक, ऋण आवेदन सहित इसके अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज") द्वारा शासित होगी।

ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत है। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) ऋणकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।



उपभवन बी

चित्रण के लिए गणना का अप्रैल उपभोक्ता ऋण के लिए

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 2 का केएफएस टेम्पलेट - अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक 11 केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप - अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक ईएमआई/ ईपीआई (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईएमआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 12, 13 और 14 का केएफएस खाका - अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक प्रतिबंध (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 15 - अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 5 का केएफएस टेम्पलेट - अनुलग्नक ए)	कमी
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 5 केएफएस खाका - अनुलग्नक ए)	15 %
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 6 का केएफएस खाका - भाग अनुलग्नक ए)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 7ए, 7बी और 7 सी केएफएस टेम्पलेट-भाग अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित मात्रा (1-6) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 10 - भाग अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तों और स्थितियाँ	विस्तृत कार्यक्रम को प्रदान किया
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 05 तारीख

- विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि के मुकाबले विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची और परिशोधन मॉडल के तहत किश्त राशि को पूर्णकित करने के कारण हो सकता है।
- APR की गणना IRR दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है। • इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।



उपभवन सी

उदाहरणदर्शक वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए अनुलग्नक बी में दर्शाया गया
काल्पनिक ऋण

किस्त सं.	बकाया मूलधन (रुपये में)	प्रधानाचार्य रुपये में)	दिलचस्पी रुपये में)	किस्त रुपये में)
1	20,000	720	250	970
2	19,280	729	241	970
3	18,552	738	232	970
4	17,814	747	223	970
5	17,067	756	213	970
6	16,310	766	204	970
7	15,544	775	194	970
8	14,769	785	185	970
9	13,984	795	175	970
10	13,189	805	165	970
11	12,384	815	155	970
12	11,569	825	145	970
13	10,744	835	134	970
14	9,909	846	124	970
15	9,063	856	113	970
16	8,206	867	103	970
17	7,339	878	92	970
18	6,461	889	81	970
19	5,572	900	70	970
20	4,672	911	58	970
21	3,761	923	47	970
22	2,838	934	35	970
23	1,904	946	24	970
24	958	958	12	970